

14-06-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त लालाराम फौत।

अभियुक्त विक्रम अनु०। उसकी ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री गुर्जर द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेशे, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

फरियादी लक्ष्मीनारायण उपस्थित।

फरियादी द्वारा प्रकरण में राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति गोहद की ओर भेजा जावे। उभय पक्ष आज दिनांक 14.06.18 को मध्यस्थ के समक्ष उप० रहें।

प्रकरण मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन हेतु दिनांक 29.06.18 को पेश हो।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर।

फरियादी लक्ष्मीनारायण सहित अधिवक्ता श्री सुरेश गुर्जर।

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द०प्र०स० राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर युक्त, फोटो एवं पहचान पत्र की प्रति व सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेशसिंह गुर्जर एव अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त पर भा०द०वि० की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार

किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा पर्स एवं रुपये 210/— के संबंध में उभयपक्ष द्वारा कोई दावा नहीं किया है। अतः जब्तशुदा रुपये अपील अवधि बाद राजसात किए जावे तथा जब्तशुदा पर्स मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट किया जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)